B.Com III PED

Q.n.9. लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग का महत्व तथा भारत सरकार द्वारा किए गए उपायो का वर्णन करें।

Ans. भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। "श्री मोरारजी देसाई के अनुसार, ऐसे उद्योगों से देहाती लोगों को, जो अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं, पूर्ण अथवा अंशकालिन रोजगार मिलता हैं।" महात्मा गाँधी के अनुसार, "भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योगों में निहित हैं।" योजना आयोग के अनुसार, "लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है जिनकी कभी उपेक्षा नही की जा सकती है।"

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का अनलिखित महत्व हैं:-

i) रोजगार में वृद्धि → लघु एवं कुटीर उद्योग श्रम प्रधान हैं। ये अर्द्ध-बेरोजगार व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान करते हैं। किसान खाली समय में इनमें काम करके अपनी आय को बढ़ा सकता हैं। ये कम पूँजी से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने में समर्थ होते हैं।

ii) भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल → ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल हैं। भारत में पूँजी का अभाव है तथा श्रम का बहुल्य हैं। अधिकांश लोग कृषि व्यवसाय में संलग्न है जो वर्ष के कई महीने खाली रहते हैं। अतः वे अपनी खाली समय का सदुपयोग कुटीर एवं लघु उद्योगों में काम करके कर सकते हैं।

iii) कृषि में जनसंख्या के भार में कमी → कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार का अभाव होने के कारण अधिकांश व्यक्ति कृषि में ही लगे हुए हैं जिससे कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक हो गया हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से कृषि में लगे हुए

Scanned with CamScanner

~~है जिससे कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक हो सकता है।~~ कुछ व्यक्ति इन उद्योगों में लग सकते हैं।

(iv) परम्परागत प्रतिभा व कला की रक्षा → कुटीर उद्योग द्वारा ही हमारा प्राचीन कला एवं परम्परागत प्रतिभा बनी रह सकती है। आज भी बनारस की साड़ियां, मुरादाबाद के बर्तन तथा हाथी दाँत के कार्य प्रसिद्ध हैं।

(v) शीघ्र उत्पादक उद्योग → इन उद्योगों की स्थापना में बहुत कम समय लगता है, और उत्पादन शीघ्र आरंभ हो जाता है। अतः इन्हे 'शीघ्र उत्पादक उद्योग' कहा जाता है। बड़े पैमाने पर की उद्योगों की स्थापना तथा उत्पादन में वर्षों लग जाते हैं।

(vi) आयात पर कम निर्भरता → बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए मशीने व तकनीक का आयात विदेशो से किया जाता है, परन्तु कुटीर उद्योगो में न तो मशीने आयात करनी पड़ती है और न तकनीक व कच्चा माल बाहर से मंगवाना पड़ता है। अतः आयात पर निर्भरता कम हो जाती है।

(vii) निर्यात में सहायक → पिछले कुछ वर्षों में लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित माल का निर्यात बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1994-95 में लगभग 29,068 हजार करोड़ रुपए के ~~लगभग~~ लघु उद्योगों के माल का निर्यात किया गया।

(viii) कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता → लघु एवं कुटीर उद्योगो में पूंजी तो कम लगती ही है साथ तकनीकी ज्ञान की भी कम आवश्यकता होती है। अतः शिल्पकार को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता ~~होती है~~ नहीं पड़ती।

(ix) उत्पादन की उत्तम किस्म → उत्पादन की उत्तम गुण लघु ~~&~~ एवं कुटीर उद्योगों में होती है। इनमें कारी-

Scanned with CamScanner

गरों को अपने कौशल व कला का प्रदर्शन करनेका अवसर मिलता है।

x) औद्योगिक समस्याओं का अभाव → बड़े पैमाने के उद्योगों में बहुत सी औद्योगिक समस्याएं विद्यमान रहती हैं, जैसे → श्रमिकों की हड़ताल, तालाबन्दी, श्रमिकों की छंटनी आदि। लघु उद्योगो में इस प्रकार की समस्याओं का अभाव रहता हैं।

xi) मानवीय मूल्य की दृष्टि से → नैतिक एंव सामाजिक दृष्टि से भी लघु एंव कुटीर उद्योग का पर्याप्त महत्व हैं। बड़े-२ औद्योगिक केन्द्रो पर वातावरण दूषित होता है जिससे श्रमिकों का सामाजिक व नैतिक पतन हो जाता हैं। इसके विपरीत, लघु एंव कुटीर उद्योगों में शुद्ध वातावरण होता है, इससे मानव का विकास होता हैं।

भारत मे लघु एंव कुटीर उद्योग का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 40% का योगदान हैं, जबकि कुल राष्ट्रीय आय में इनका योगदान 10% हैं। ये देश के 32% लोगो को रोजगार अलब्ध कराता है, और देश के कुल निर्यात में इनका 34% योगदान होता है।

भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय:-

(i) राष्ट्रीय समता कोष की स्थापना:- छोटे एंव लघु उद्योगों के विकास की दृष्टि से केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय समता कोष की स्थापना की है। इस कोष हेतु 5 करोड़ रु. केन्द्र सरकार और 5 करोड़ रु. औद्योगिक विकास बैंक ने प्रदान किए हैं।

(ii) लघु उद्योग बोर्ड का गठन:- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सन् 1992 में एक लघु उद्योग बोर्ड का गठन किया गया है।

Scanned with CamScanner

Q.No. 6 → अंशों की जब्ती / हरण क्या है ?
(Forfeiture of Shares)

उत्तर → अंशों का हरण या जब्ती का अर्थ :-

जब अंशों की राशि किस्तों में भुगतान होती है तब प्रायः यह देखा जाता है कि अंशधारी एक या अधिक किस्तों की राशि चुकाने में असमर्थ रहते हैं। यदि सूचना के बाद भी बकाया रखने वाला अंशधारी अदत्त राशि नहीं चुकाता है तो कम्पनी या तो (1) दोषी अंशधारी पर न चुकाई हुई मांग की प्राप्ति के लिए मुकदमा चला सकती है, या (2) वह ऐसे अंशों का हरण कर सकती है। इसमें प्रथम विधि को उपयुक्त नहीं माना जाता है। अतः नियमानुसार अंशों का हरण किया जाता है।

अंशों के हरण या जब्ती से अभिप्राय है कि जो अंशधारी अंशों की माँगी हुई रकमें को नहीं चुकाता है उसका नाम सदस्य रजिस्टर से काट दिया जाता है और उसने जो रकम अंशों पर चुकायी हुई है, वह रकम जब्त कर ली जाती है। अंशधारी द्वारा चुकायी राशि पर कम्पनी का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार अंशों की जब्ती होने पर एवं अंशधारी के पूँजी खाते बन्द कर दिए जाते हैं और जब्त की गयी राशि 'जब्त अंश खाते (Forfeited share Account) में डाल दी जाती है।

हरण की पद्धति (Procedure of Forfeiture) :-

अंशों की जब्ती सम्बन्धी नियम कम्पनी के अन्तर्नियमों में दिये रहते हैं। यदि अन्तर्नियमों में स्वयं कोई नियम न दिये हों और इस सम्बन्ध में तालिका 'अ' के ~~प्रतिबन्ध~~ ~~का~~ प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध हो, तो अंश को जब्त नहीं किया जा सकता है।

यदि कम्पनी को अंश जब्त करने का अधिकार हो तो जब्ती का हरण विधि इस प्रकार होगी :-

(1) स्मरण-पत्र भेजना :-

Scanned with CamScanner